राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1142/2023

डॉ. दिनेश अग्रवाल

–अपीलार्थी

बनाम

शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 17.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र वैश्य, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने निलम्बन आदेश दिनांक 03.03.2023 को चुनौती दी थी, जिसमें इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 12.04.2023 के द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 03.03.2023 की क्रियान्विति को स्थगित रखे जाने के आदेश दिये थे। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किये जाने का आदेश पारित किया जा चुका है। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी को बहाली के बाद में बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को बहाल किये जाने के पश्चात आदेश दिनांक 28.07.2023 पारित किया गया था, जिसके द्वारा अपीलार्थी की निलम्बन अवधि को नियमित किये जाने का आदेश दिया गया है और यह भी आदेश दिया गया है कि निलम्बन काल में दिये गये निर्वाह भत्तों को समायोजित करते हुए निलम्बन अवधि के वेतन भत्ते नियमानुसार देय हैं।
2. उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि चूंकि निलम्बन आदेश पारित होने के पश्चात अपीलार्थी को बहाल किया जा चुका है। ऐसे में यह अपील में सारहीन हो चुकी है। जहां तक निलम्बन काल में दिये वाले निर्वाह भत्तों का प्रश्न है, तो इस संबंध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 28.07.2023 पारित किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के संबंध में आदेश दिनांक 28.07.2023 की पालना में उचित कार्यवाही 1 माह में सुनिश्चित करें। इस आदेश के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)